"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014— पौष 20, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 490021
दूरभाष क्र. 0771–4073555 फैक्सः 2445857

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2014

विनिमय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

55/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन, आयोग में निहित तथा उन समस्त शक्तियों, जो आयोग को इस हेतु समर्थ बनाती हो, का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद् पश्चात् "आयोग") एतद् द्वारा, विनिमय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग(कार्य संचालन) विनियम, 2009 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रयोज्यताः–

1.1 ये विनियम, विनिमय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम, 2013, कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. विनियम 7(1)(बी) में संशोधनः–

विनियम 7(1)(बी) में निम्नलिखित ''परन्तुक'' जोड़ा जावेः–

''परन्तु उस दशा में, जब सदस्यों के पद की रिक्तिता के कारण अथवा सदस्यों में से कोई स्वास्थ्यगत् कारणों से अथवा किसी अन्य युक्तियुक्त कारण से लम्बे समय तक बैठक में उपस्थित न हो सकते हों तो, अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति की दशा में, अध्यक्ष द्वारा नामित कोई सदस्य, अथवा, ऐसा नामांकन न होने की स्थिति में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य, उन कारणों तथा अत्यावश्यकता की दशा का लेख करते हुए, अपने समक्ष प्रस्तुत, विषयवस्तु पर सुनवाई करेगा तथा उसका निराकरण करेगा।

परन्तु यह भी कि, कोई एकल सदस्य, ऐसे निर्णय नहीं ले सकेगा, जो प्रचलित टैरिफ और नीतियों को प्रभावित करते हों।''

परन्तु, यह भी कि पद में रिक्तता के कारण, यदि आयोग में केवल एक ही सदस्य कार्यरत् हो, तो आयोग की बैठकों हेतु गणपूर्ति एक सदस्य की ही होगी और ऐसी दशा में वह एकल सदस्य ऐसे सभी निर्णय ले सकेगा, जिसके लिए आयोग सशक्त हो।''

3. विनियम 23 में संशोधनः–

विनियम 23 के उपखण्ड–3 के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड–4 जोड़ा जावेः–

(4) किसी पुनर्विलोकन याचिका की ग्राह्यता, उसके प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर, अभिनिश्चित की जावेगी। प्रत्येक पुनर्विलोकन याचिका, उसके ग्राह्यता के दिनांक से 120 दिनों के भीतर निराकृत की जायेगी। यदि निराकरण सम्बन्धी आदेश, नियोजित समयावधि में पारित नहीं किया जा सके तो, आयोग के आदेश में, विलम्ब के कारणों को भी अभिव्यक्त किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन.सिंह)
सचिव